''जनजाति क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण तथा शैक्षिक जागरूकता अनुशीलन''
(छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

ज्योति विद्यापीठ वूमेन्स विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान) से समाजशास्त्र विषय में पी–एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध की

रूपरेखा

Synopsis
2019

निर्देशक
डॉ. मंजू शर्मा
अधिष्ठाता समाज विज्ञान

शोधार्थी
राजश्री साहू
नामाकंन नम्बर –JVR-1/19/10004

ज्योति विद्यापीठ वूमेन्स विश्वविद्यालय, जयपुर राजस्थान

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 6%

Date: Monday, June 24, 2019
Statistics: 12 words Plagiarized / 4832 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

जनजाति क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण तथा उनकी शैक्षणिक में जागरूकता के लिए महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं के विकासशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं और बच्चे भविष्य की पूँजी हैं। आज लगभग पचास प्रतिशत जनसंख्या जनजाति क्षेत्रों की महिलाओं की है जबकि 42 प्रतिशत 18 वर्ष की आयु से कम की हैं। जनजाति क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण व शैक्षणिक विकास को सच्चे मायने में सर्व–समावेशी होने के लिए इनकी सुरक्षा, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण और भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है।

भारत सहस्राब्दि के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और यह महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति संबंधी अभिसमय और बाल अधिकारों संबंधी अभिसमय समेत अनेक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता है। फिर भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में, महिलाएं, हिंसा, उपेक्षा और अन्याय के शिकार बने हुए हैं। ग्यारहवीं योजना लिंग को एक अन्य मूल विषय के रूप में देखते हुए इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसमें महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। साथ ही, इसमें सभी आयु, समुदायों और आर्थिक समूहों के जीवित रह सकने, उनकी सुरक्षा और समग्र विकास को सुनिश्चित किया गया है।

पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य महिलाओं के साथ किए जाने वाले अनेक प्रकार के बहिष्कारों और भेदभावों को समाप्त करना प्रमुख लक्ष्य है, यह सुनिश्चित करना है कि देश की प्रत्येक महिला अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होने में सक्षम हो और आर्थिक विकास और समृद्धि का लाभ उठा सके। सफल भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण से महिलाओं का सशक्तिकरण होना जो स्वयं के विकास में भागीदार बनते हैं, अपनाने की हमारी योग्यता पर निर्भर करती है। इसके लिए रूपरेखा राष्ट्रीय महिला नीति 2001 बनाई जा चुकी है।

सभी महिलाएं सजातीय श्रेणियों के नहीं है, वे विभिन्न जातियों, वर्गों, समुदायों, आर्थिक समूहों से संबंधित होते हैं, और भौगोलिक और विकास क्षेत्रों के एक दायरे में रहते हैं, परिणाम स्वरूप, कुछ समूह अन्य की अपेक्षा अधिक कमजोर होते हैं। मानचित्रण और इन बहुविविध स्थानों से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट कमियों को समाप्त करना नियोजित हस्तक्षेपों की सफलता के लिए आवश्यक है। सामान्य कार्यक्रमगत हस्तक्षेपों के अलावा इन समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष लक्ष्य पूर्ण भी किए जाने पर बल दिया गया है।

सामाजिक संरचना के स्थायित्व के साथ ही अनेक खामियाँ भी आने लगी, अहं की भावना के प्रादुर्भाव ने सामाजिक व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करने में महती भूमिका का निर्वाह किया ओर इस स्थिति के जन्म से सर्वाधिक हानि जिसे पहुँची थी वह है भारतीय नारी जिसे समाज ने द्वितीय दर्जा दे दिया गया। तदुपरान्त एक मानसिक भ्रांति का उद्‌भव हुआ और महिलाओं की महत्ता स्वीकार की जाने लगी है।

आदिकालीन अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से जनजातीय क्षेत्रों की जीविका पालन या जीवन धारणा से संबंधित है। जीवन धारण के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना उनका वितरण तथा उपभोग करना ही उनकी आर्थिक क्रियाओं का आधार और लक्ष्य होता है और वे क्रियाएँ एक आदिम समाज की संपूर्ण पर्यावरण विशेषकर भौगोलिक पर्यावरण के द्वारा बहुत प्रभावित होती है इसीलिए जीवन यापन या जीवित रहने के साधनों को बिताने के लिए आदिम लोगों को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आर्थिक जीवन अत्यधिक संघर्षमय तथा कठिन होने के कारण आर्थिक क्षेत्र में अन्य क्षेत्र की भाँति, प्रगति की गति बहुत धीमी होती हैं।

संक्षेप में आदिकालीन अर्थव्यवस्था एक ओर प्रकृति की शक्तियों और प्राकृतिक साधनों फल–फूल, पशु–पक्षी, पहाड़ और घाटी नदी तथा जंगलों आदि पर निर्भर है और दूसरी ओर परिवार से घनिष्ठ रूप से संयुक्त है। आदिकालीन मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त सामग्री से अपने उपकरणों का निर्माण करता है और उनकी सहायता से परिवार के सब लोग उदर पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करते है। इस परिश्रम का जो फल उन्हें प्राप्त होता है, उससे आर्थिक आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक शक्तियों और साधनों के बीच केवल एक संतुलन स्थापित हो सकता है। धन को इकट्ठा करने या उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार प्राप्त करने और उनके बल पर दूसरों पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की बात शायद ही कोई सोचता हो। परिवार का आर्थिक स्वार्थ प्रायः सामूहिक स्वार्थ के साथ इतना अधिक घुलमिल जाता है कि इन दोनों को पृथक करना कठिन होता है।

जनजाति क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि उपकरणों से लगाकर जमीन की विशेषताओं तक आँका जा सकता है। किसी के पास सबसे अधिक उपजाऊ जमीनें है तो किसी के पास नाम मात्र के लिए ही खेती का टुकड़ा उपलब्ध है। कोई ढलानी या पहाड़ी जमीन पर ही अपने श्रम को सार्थक करता दिखाई देता है तो कोई मैदानी काली मिट्टी में सर्वाधिक अन्न उपजाकर पटेल का खिताब अर्जित किए हुए हैं, जो खेती मुख्य व्यवसाय है और इसी के माध्यम से इनका जीवन निर्वाह भी हो रहा हैं।

रोजनदारी खेती मजदूरी जनजाति महिलाओं की वह मजदूरी है जो मुद्रा अथवा अनाज के रूप में श्रम के द्वारा कृषक से प्राप्त करता है। जिन लोगों के पास खेती उपलब्ध नहीं है अथवा कम है वे लोग अपने ही समाज के पटेल के यहाँ अन्य कृषकों की निंदाई, गुड़ाई और बोआई के लिए दाड़की (मजदूरी) पर पहुँचते है। मूंगफली तोड़ने, कपास चुनने तथा पानी डालने का काम महिलाएँ बड़ी कुशलता से सम्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त ज्वार काटने या गन्ना छिलने के लिए काम के लिए भी आवश्यकतानुसार पूर्व सूचना मिलने पर महिलाएँ ही खेतों में काम करने के लिए पहुँचती हैं।

यह कार्य वर्ष–भर तक नहीं चलता केवल दो या तीन माह तक फसलें कटने तक इन्हें यह मजदूरी प्राप्त होती रहती है। रोजनदारी मजदूरी के लिए कभी–कभी कृषक आदिवासी भी खेती में काम करते देखे गये हैं। किन्तु महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों की संख्या कम है। कृषक के पास मुद्रा न होने के कारण उन्हें अनाज या अन्य उपलब्ध वस्तुएँ गुड़, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा कपास आदि पूर्व अनुबंध के हिसाब से मजदूरी के रूप में दी जाती है।

कमदारी या वरसूदिया खेती मजदूरी इस क्षेत्र के जनजाति महिलाओं की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख साधन है। यह मजदूरी वह मजदूरी है, जिसमें व्यक्ति किसी बड़े काश्तकार द्वारा वर्ष–भर के लिए अथवा उससे अधिक समय के लिए निश्चित मुद्रा अथवा अनाज के बदले अनुबन्धित कर लिया जाता है। निश्चित अवधि के पूर्व स्वयं के द्वारा कार्य छोड़ने पर उसे अपने श्रम का कटोत्रा भी चुकाना पड़ता हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ एवं परिभाषा

इसका सामान्य अर्थ यही है कि महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाया जाये। उनको मानवाधिकार प्रदान कर, उसके अनुकूल सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न की जायें ताकि महिला प्रवर्ग अपना समुचित विकास कर सके। परिभाषा–

1. महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिला अपने अस्वित्व की स्थापना करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।

2. महिला सशक्तिकरण का अर्थ है नारी अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सर्वांगीण विकास कर सकें जिससे उसका सशक्त स्थायित्व समाज में स्थापित हो और इसका तात्पर्य उसकी स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता महत्ता से है। अर्थात् महिला की पहचान होना, पहली शर्त है। वर्तमान कालीन सामाजिक परिवेश में अधिकांश महिलाओं की अपनी पहचान है ही नहीं। वह तो मात्र किसी की पत्नी या किसी की माँ है। बस यही उनकी पहचान है। उनके 'नाम' से उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी महिलाओं का समस्त जीवन, परिवार एवं समाज की सेवा करते–करते ही बेनामी की धुंध में गुम हो जाता हैं इन्होंने अपने व्यक्तित्व के विकास की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया।

वस्तुतः जब अस्तित्व ही नहीं होगा तो व्यक्तित्व के विकास की बात करना व्यर्थ है। भारत की अनेक महिलाओं का जीवन स्तर मानवीय श्रेणी के मापदण्डों से काफी भिन्न है। दरअसल इन महिलाओं का मानव माना ही नहीं जाता। यदि माना जाता तो उनके साथ समानता का न्यायोचित व्यवहार किया जाता, ना कि मारपीट, प्रताड़ना, उपेक्षा एवं अवहेलना।

इसी तारतम्य में भारत में प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवारलाल नेहरू जी 1958 में फारवर्ड वोमेन ऑफ इंडिया में लिखा था कि ''फ्रांस के किसी आदमी ने लिखा था कि किसी भी देश की स्थिति को देखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, उस देश की स्त्रियों की स्थिति का पता लगाना। मेरे विचार से यह ठीक है। भूतकाल के कई प्रसिद्ध उदाहरणों के बाद भी यह कहना सत्य होगा कि भारत में पिछले वर्षो से महिलाओं की स्थति, कानूनी या सार्वजनिक जीवन में किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं रही है। हाल ही के कुछ वर्षो में राजनीतिक एवं मानवीय गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने प्रगति की है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी संसद ने भी हाल ही में कुछ विधान पारित किये हैं। जिन्होंने महिलाओं को कानूनी रूप से कई बंधनों से मुक्ति दे दी है। इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति को अच्छा बनाने में मदद पहुंचाई है फिर भी अभी कई बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना है।'' 1930 में महात्मा गांधीजी ने कहा था कि– ''महिलाओं को कमजोर कहना उनका अपमान है। पुरूषों के प्रति अन्याय है।''

संबंधित साहित्य का पुनर्रावलोकन –

जे.के. मिश्रा ने अपने अध्ययन ''जनांकिकीय के सिद्धांत'' में जनसंख्या का वितरण क्षेत्रीय विभिन्नताएँ, जनसंख्या के विविध पक्ष जैसे जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, लिंगानुपात का आवर्जन, प्रवर्जन जैसी समस्याओं पर प्रकाश डाला है।

पुष्पलता मिश्रा (2003) ने अपने अध्ययन ''देवास जिले में जनांकिकीय परिवर्तनों का अध्ययन'' में जनसंख्या के आकार, संरचना एवं वितरण के विभिन्न पहलुओं में जो परिवर्तन होते हैं तथा परिवर्तन के पश्चात् जो परिणाम उभर कर आते हैं तथा औद्योगिकीकरण तथा जनसंख्या नीति के प्रभाव के कारण आर्थिक परिवर्तन को केन्द्रित किया है।

संजय पाण्डेय (1993) ने अपने अध्ययन ''दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश के आदिवासियों का सामाजिक–आर्थिक शोषण'' में जनजातियों का आर्थिक–सामाजिक शोषण के कारण आर्थिक उत्थान नहीं हुआ है तथा सरकार की नीति तथा राजनैतिक प्रभाव के कारण जनजातीय वर्ग समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से वंचित हुआ है।

एम.एस. कृष्णा रेड्डी (1991) ने अपने अध्ययन में ''जनसंख्या की दर को नियंत्रित करने में साक्षरता'' में विशेष रूप से महिला साक्षरता का विशिष्ट योगदान है। शिक्षा को प्राथमिक स्तर से बढ़ाकर माध्यमिक व उसके ऊपर के स्तरों तक ले जाने से जनसंख्या नियंत्रण में काफी मदद मिलेगी।

शिरीन जे. (1995) ने अपने अध्ययन में महिलाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है।

चिरंजीव गुप्ता (2001) ने अपने अध्ययन में बताया की महिला साक्षरता से प्रजनन दर में कमी आती है।

नाथ (1991) में अपने अध्ययन में बताया की लिंगानुपात के पतन की प्रवृत्ति को समझने के लिए आर्थिक व सांस्कृतिक तत्व महत्वपूर्ण होते है।

प्रीति रस्तौगी (2000) ने अपने अध्ययन में लैंगिक अनुपात में गिरावट औरतों की संख्या में कमी हुई है जिसमें स्त्रीभ्रूण का गर्भपात, जन्मोपरांत स्त्री शिशुओं की हत्या इत्यादि के कारण रहे हैं।

प्रो. सच्चिदानन्द ने अपने एक अन्य आनुभविक अध्ययन के आधार पर अन्य निष्कर्ष दिया है कि भारतीय समाज के अन्य विभागों की तरह जनजातियों के अन्तर्गत भी परम्परागत एवं आधुनिक निरपेक्ष दोनों प्रकार के मूल्यों का समन्वय है। इनकी व्याख्या संस्कृतिकरण या पश्चिमीकरण किसी एक के द्वारा नहीं की जा सकती। यद्यपि इन दोनों में पश्चिमीकरण का अधिक महत्व है। निम्नतम सोपान पर आसीन हरिजनों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए पश्चिमीकरण का धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर अधिक बल दिया जा रहा है। आपके अनुसार अनुसूचित जातियों में शिक्षा, व्यावसायिक, गतिशीलता, महत्वपूर्ण सरकार पदों पर नियुक्ति और नौकरियों में संरक्षण एवं आरक्षण की नीति से उनमें पनपी राजनैतिक जागरूकता और उभरी राजनैतिक चेतना के कारण काफी परिवर्तन हुए है और निश्चित रूप से उनकी सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक स्थितियाँ पहले से बेहतर हुई है और इन्ही कारणों से अनुसूचित जातियों में राजनीतिकरण भी हुआ है। जिससे उनकी प्रतिष्ठा तथा सामाजिक परिस्थिति भी सकरात्मक दिशा में बढ़ी है।

मेहता पी.ए.(इमजिंग पैटर्न्स ऑफ रूरल लीडरशीप 1972:5) ने अपने अपने अनुसंधान कार्य के निष्कर्षो को उद्घाटित करने हुए लिखा है कि–(1) महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। (2) युवाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ा है। (3) परम्परागत नेतृत्व में बदलाव आया है। (4) मूल्य रहित राजनीति को प्रोत्साहन मिला है। (5) राजनीति में आक्रमण तेवर तथा दलबदल शैली बलवती हुई है। (6) मतदान व्यवहार के सन्दर्भ में मतदान से पूर्व एवं पश्चात् की परिस्थितियों में बदलाव हुआ है कि मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग खुलकर नही करता। (7) मतदान केन्द्रो पर अराजकता, लूटपाट तथा अधिकार कर लेना, बूथ कैप्चरिंग तथा मतदान पेटी को उठा ले जाने आदि जैसी प्रवृत्तियों में बेतहांशा वृद्धि हुई है, इत्यादि ऐसे नवीन प्रतिमान है जो स्वच्छ पारदर्शी तथा निष्पक्ष राजनीति के मार्ग में बाधक है।''

प्रो. मेगार्ड पी.(ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं गुटबन्दी राजनीतिक सन्दर्भ में 1974:103) का कहना है कि वर्तमान समय में राजनीति में गुटबन्दी हावी है, जिसके मूल में ग्रामीण परम्परागत समुदाय के निम्न वर्गो की रोजी रोटी का मूल प्रश्न, बदलते राजनीति परिदृश्य मे निहित है। इस चेतना को जागृत करने में आरक्षण, पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, वर्तमान शिक्षा, बेरोजगारी, राजनीति घटनाक्रमों तथा जनसंचार साधनो की बढ़ती भूमिकाएं प्रमुख है। आज समूचे राष्ट्रीय सोच का इस सन्दर्भ में राजनीतिकरण हो गया है। यहां तक कि अशिक्षित तथा शिक्षित बेरोजगार युवक राजनीति करने के प्रति विशेष रूप से आकर्षित एवं उन्मेषित है। बदलते परिवेश में उत्तरदायी कारक के रूप में उनका आर्थिक व सामाजिक समृद्धि के प्रति निहित आकर्षण, उन्हें राजनीति करने के लिए मुख्य प्रेरक है जिससे अनुसूचित जातियों के लोगों की राजनीतिक रूचि तथा राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई है।

त्रिपाठी बंशीधर(अनुसूचित जाति व आदिवासी में मतदान व्यवहार एवं राजनीति का परिवर्ती परिवेश 1976 : 95) ने लिखा है कि बदलते परिवेश में भय व आतंक के कारण कमजोर वर्गो के लोग मतदान करने तक नहीं जाते; यहां तक कि मतदान के दिन मतों का खुलकर क्रय विक्रय होता है। मतदान के प्रति उदासीनता भी भारतीय मतदाताओं की अपनी विशेषता है। ऐसे व्यक्तियों के कारण भारतीय लोकतंत्र में जनहित उजड़ रहा है, मतदान केन्द्रो पर कब्जा/अधिकार कर लेना, वोट न डालने देना, अनुसूचित तथा निर्बल वर्गो के मतदाताओं के मताधिकार का प्रयोग स्वयं तथा डरा धमका कर जबरन उनके वोट डाल लेना, उनके साथ मारपीट कर डालना, उन्हें आतंकित करना आदि स्पष्ट उदाहरण है, जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विशेष रूप से बाधक है, तथा दूसरे के अधिकारों को छीन लेना हैं। इस रूप में भारतीय लोकतंत्र असफल कहा जा सकता है।

यादव यू.वी.(अनुसूचित आदिवासी तथा पिछड़ी जातियों के विकास में नवीन पंचायतीराज की भूमिका, प्रकाशित शोध पत्र 1995 : 7) ने 100 सूचना मत दाताओं पर आधारित सर्वेक्षण करके अपने क्षेत्रीय अध्ययन में पाया है कि–

(1) निःसन्देह; नवीन पंचायतीराज अधिनियम ने अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान में अहम् तथा सकारात्मक भूमिका निभाई है। साथ ही उनमें राजनैतिक चेतना जागृत की है। जो अनुसूचित जातियों के लिए विकास की दिशा में एक शुभ संकेत है।

(2) संवर्ण, पिछड़े तथा सभी वर्गो के लोगों को पंचायती सदस्यों के रूप में एक ही दरी पर बैठ कर समस्याएं सुलझाने एवं अपने विकास कार्यो हेतु निर्णय लेने का अवसर मिला है।

(3) नवीन पंचायतीराज अधिनियम ने निर्बल वर्गो को शोषण तथा उत्पीडन से मुक्ति दिलायी है जिससे उनमें विकास का आत्म विश्वास जागा है तथा जागरूकता बढ़ी है।

(4) नवीन पंचायतीराज ने अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न विकास योजनान्तर्गत आरक्षण तथा संवैधानिक संरक्षण के अनुरूप विकास कार्य कराने, आर्थिक लाभांश प्रदान करने के सुअवसर प्रदान किए है जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक दशांए सुधरी है।

समाजशास्त्री प्रो. लिंच(दि पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी : 1969) के अनुसार सामान्यतः राजनीतिक–व्यवहार के क्षेत्रान्तर्गत मूलतः 6 प्रक्रियाएं; चुनाव, जनमत–निर्माण व संग्रह, संवैधानिक, प्रशासनिक न्यायिक व विधिक और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति आती है। इनमें से अन्य प्रक्रियाओं की तुलना मे प्रथम प्रक्रिया (चुनाव प्रक्रिया) ने हमारे सोच को अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रजातांत्रिक प्रणाली के अर्न्तगत दो महत्वपूर्ण पहलू होते है; प्रथमः नागरिकों द्वारा मतदान करना, एक प्रमुख सहभागी राजनीतिक प्रणाली होती है; जो मतदान करने तथा मतदान–बहिष्कार पर निर्भर करता है क्योंकि ''मतदान–व्यवहार'' चुनाव–प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग, समूह, समुदाय, गाँव अथवा क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों द्वारा मतदान न करना, मतदान से परहेज करना, अथवा सामूहिक तौर पर मतदान में भाग न लेकर चुनाव बहिष्कार, मत का प्रयोग न करना, विभिन्न जनांकिकीय कारकों एवं तत्कालीन शासन की समाज विरोधी नीतियों, जनहित के कार्य न करना, विकास कार्यो के राजनीतिक सोच तथा राजनीतिक क्षमता भावना; मतदान व्यवहार तथा चुनाव प्रक्रिया को प्रत्यक्षतः प्रभावित करती है; जबकि अनुसूचित जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में उनके लिए किसी क्षेत्र को आरक्षित करना अथवा ''पदों का आरक्षण'' अनुसूचित जातियों के लोगों की राजनीतिक क्षमता को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाता है।

सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रो.दुबे एस.सी.(1955) के अनुसार राजनीतिक आधार; मुख्य रूप से आधुनिक प्रजातन्त्र की उपज है और आधुनिक भारत में पाया जाने वाला जातिवाद; जाति के राजनीतिकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस रूप में भारतीय राजनीति को जाति की प्रतिच्छाया माना जा सकता है; क्योंकि वर्तमान सन्दर्भो में राजनीतिक सम्बन्ध, केवल सामाजिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति मात्र है। सुप्रसिद्ध विचारक रजनी कोठारी(1970) ने इस विचार की आलोचना करते हुए कहा है कि इस विचारधारा के समर्थक विद्वान विकास से सम्बन्धित वास्तविकता को समझाने में असफल रहे है। सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं समाजवादी नेता (स्व.) श्री जय प्रकाश नारायण के अनुसार भारत में ''जाति'' सबसे महत्वपूर्ण राजनीति दल के रूप मे उभरा है। सर्वश्री वीरन् पार्क, टिंकर

तथा जॉन्स आदि विद्वानों ने इस विचारधारा का समर्थन किया है। इस विचार के समर्थक ''जाति'' को राजनीति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति राजनीति में ऊँचा उठना चाहता है तो उसे अपनी जाति, अथवा उपेक्षित व निर्बल वर्गो को साथ लेकर चलना होगा।

भारत में हुए गत आम चुनावों से स्पष्ट है कि विभिन्न राजनीतिक दल, सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय समूहों को संगठित करके ही सफल हुए है। कुछ समाजशास्त्री; जाति एवं राजनीति को परस्पर निबद्ध मानते है और यह स्वीकार करते है कि–''जाति, राजनीति को और राजनीति, जाति को अर्थात दोनों ही एक दूसरे को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते है।'' राजनीतिज्ञ को अपने लक्ष्यों (उद्देश्यों) की प्राप्ति के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए कई गठजोड़ बैठाने पड़ते है। जाति संरचना इसके लिए एक प्रमुख संगठनात्मक समूह प्रदान करती है; और राजनीति इस स्त्रोत के माध्यम से अपने आपको संगठित करने का प्रयास करती है; इस प्रकार राजनीति में राजनीतिज्ञों को जाति का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी ओर राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है क्योंकि राजनीति के द्वारा ही जाति अपने हितों की रक्षा करती हैं। अतः राजनीति में जातिवाद तथा जाति दोनों ही राजनीतिकरण के रूप में परस्पर निबद्ध हैं।

सर्वश्री भट्ट ए(1975, 1994) ने जाति एवं राजनीति में सैद्धांतिक स्तर पर पारस्परिक सम्बन्धों के संदर्भ में निम्न तीन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया है –

(1) क्या जातीय समूहों के लिए राजनीति क्रियाकलापों में भाग लेना वैध है?

(2) क्या जातिया राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता के पश्चात् जातियां ही रहती है?

(2) भारतीय राजनीति पर जाति का क्या प्रभाव पड़ा है? क्या भारत में प्रजातंत्री प्रक्रिया को जाति सकारात्मक एवं अनुकूल योगदान प्रदान करती है? क्या इसमें आधुनिकीकरण की सामान्य प्रक्रिया और विशेष रूप से प्रजातंत्रीय राजनीति में कोई बाधा उत्पन्न हुई है?

(3) जाति एवं राजनीति की परस्पर अन्तःक्रिया में मौलिक एवं निर्णायक कारक कौनसा है ? क्या जाति, राजनीति को प्रभावित करती है, अथवा राजनीति, जाति व्यवस्था की प्रकृति को परिवर्तित कर रही है?

''जाति'' (जो संस्करण को महत्व देती है) की प्रकृति; प्रजातंत्रीय व्यवस्था (जो कि समतावाद पर आधारित है) की भावनाओं की विरोधी है; किन्तु समाजशास्त्री रूडोल्फ ने इस तर्क का खण्डन किया है। आपके मतानुसार ''जाति''जैसी परम्परागत संस्था ने भारत में अशिक्षित लोगों को राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दिया है। जाति व्यवस्था, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बाधक न होकर ''राजनीति का एक अभिकरण'' मात्र है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने जाति एवं राजनीति के परस्पर संबंधो का अध्ययन करने में ''जाति'' को राजनीतिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है।

रजनी कोठारी(1970) ने इन सभी विद्वानों के उक्त विचारों से असहमति प्रकट की है; एवं स्पष्ट रूप से यह बताने का प्रयास किया है कि जाति एवं राजनीति दोनों एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते है। अतः यह दोनों में से किसी एक को महत्व देना अनुचित है। क्योंकि आपके मतानुसार राजनीतिक संरचनाओं का अपना पृथक स्वायत्त व अस्तित्व होता है। अगर राजनीति, जाति द्वारा प्रभावित होती है तो जाति की प्रकृति एवं संरचना भी राजनीति के प्रभाव से परिवर्तित हो जाती; जिसे ''जातियों के राजनीतिकरण'' की संज्ञा दी गयी है।

प्रो. बसीरूद्दीन ए(1978) ने अपने आनुभविक अध्ययन ''नागरिक एवं राजनीति'' में भारत में सामूहिक राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में लिखा है कि अनुसूचित जातियों में राजनीति के बारे में जो सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन दृष्टिगत हैं, उसके क्षेत्रों के अन्तर्गतः सामाजिक ढांचा, व्यवसाय, आर्थिक दशाएं, राजनीतिक सहभागिता व सम्बद्धता, शिक्षा आवास तथा आवासीय दशाएं, आरक्षण तथा राजनीति जागरूकता/राजनीतिक चेतना आदि प्रमुख हैं। वस्तुतः राजनीतिकरण के कारण अनुसूचित जातियां अपने निम्न स्तर को ऊँचा उठाने के लिए संगठित हो रही है तथा सत्ता संरचना को प्रभावित करने अथवा इस पर प्रभुत्व जमाने के लिए अन्य निम्न जातियों व वर्गो से गठबन्धन करने लगी है; जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियाँ निश्चित रूप से राजनीति के प्रति अधिक जागरूक है एवं राजनीति में सक्रियता के साथ भाग लेती है; और उन्हें दलों व व्यक्तियों का समर्थन करती हैं जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं तथा उनके बीच उठते–बैठते व खाते पीते हैं।

शोध प्रविधि –

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् छिन्दवाड़ा जिले में जनजाति क्षेत्रों की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार, व केन्द्र सरकार द्वारा कई सारी योजनाओं का संचालन किया गया हैं। इन योजनाओं का लाभ जनजाति क्षेत्रों की महिलाओं को उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए संचालित की जाती हैं। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के नाम से एक अलग ही विभाग का गठन किया गया हैं, जो कि सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके ऊपर होने वाले अपराधों, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मदद करना, समाज के प्रति जागरूकता लाना, बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना के माध्यम से महिलाओं मदद करना, लाडो अभियान के माध्यम से बेटी की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में करने पर सजा का प्रावधान आदि बातों को इसमें समझाया गया है, व सरकार समय–समय पर जनजाति महिलाओं को शिक्षा के लिए जागरूकता का अभियान भी चलाती हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''जनजाति क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण तथा शैक्षणिक जागरूकता अनुशीलन'' (छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) की मुख्य धारा से पृथक है, जिनकी विशिष्ट पहचान है।

2001 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत में जनजातीय साक्षरता 27.43 प्रतिशत थी जो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया। जिसमें अध्ययन का उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

(1) जनजाति क्षेत्रों की महिलाओं में शैक्षिक स्तर का अध्ययन करना।

(2) जनजाति क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्तर पर उपलब्ध कराये गये शासन स्तर की योजनाओं का अध्ययन करना।

(4) जनजाति क्षेत्रों में महिला की सामाजिक संरचना एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

(5) जनजाति क्षेत्रों में महिलाओं सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं का अध्ययन करना।

परिकल्पना–

अनुसंधान के लिये परिकल्पना का निर्धारण करना होता हैं। परिकल्पना समस्या के रूप में मनःपटल पर उठने वाले प्रश्न होते है जिसके आधार पर निष्कर्षो को प्राप्त किया जाता हैं। अतः शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्धारिण किया गया हैं–

01 आधुनिक समाज के संपर्क में आने के कारण उनकी शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही हैं।
02 इनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से हो रहा है।
03 शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनायें इनकी समस्याओं को प्रभावित करती हैं।
04 स्थानीय सरकार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाली योजनाओं का उपयोग जनजाति क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुॅच पा रहा हैं या नहीं, इसका अवलोकन करना।
05 जनजाति क्षेत्रों की महिलाओं में जागरूकता आ रही हैं या नहीं इसका अध्ययन करना।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''जनजाति क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण तथा शैक्षणिक जागरूकता अनुशीलन'' (छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) छिन्दवाड़ा जिले में निवासरत 300 परिवारों की जनजाति क्षेत्रों में महिलाओं को प्रश्नावली के माध्यम से उनके पास जाकर उनसे साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्न पुछे जायेगे और उनके प्रश्नों को भर कर प्रस्तुत शोध अध्ययन में सम्मिलित किया जाएगा।

तथ्यों का संकलन–

अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन करने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोंतो का उपयोग किया गया है। जिसमें प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार व अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्र कर किया गया हैं।

द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिये विभिन्न स्त्रोतों एवं माध्यमों का उपयोग किया गया है। जिसमें पूर्व शोध अध्ययन, शोध आलेख, जर्नल्स, समाचार पत्र वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि को सम्मिलित किया गया हैं।

शोध की उपयोगिता –

वर्तमान शोध समाज के सबसे पिछड़े वर्ग जो जनजाति समुदाय से जुड़ा है पर अध्ययन केन्द्रित किया गया है जिससे अध्ययन की प्रासंगिकता बढ़ी हैं। निकाले गये निष्कर्ष से जनजाति समाज की वर्तमान समस्या और कारणों को जानने में सहायता मिलेगी। समस्याओं के निराकरण के लिये सुझाव प्रस्तुत किये जाएंगे।

अध्ययन क्षेत्र –

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि छिन्दवाड़ा जिला भूमि के रकबे के हिसाब से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका कुल रकबा अर्थात क्षेत्रफल 11815 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले का गठन 1 नवम्बर 1956 को किया गया।

यह जिला सतपुड़ा के पठार के दक्षिण–पश्चिम हिस्सें में 21.28^0 से 22.49^0 उत्तर अक्षांश तथा 78.10^0 से 79.24^0 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले का तापमान कम से कम 4^0 से 6^0 डिग्री सेल्सियस रहता है।

इस जिले की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 136 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम कमी ओर चौड़ाई 104 किलोमीटर है। दक्षिण में जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और अमरावती जिले में मैदानी भाग से लगती है। उत्तर में नर्मदा घाटी स्थित होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले इसकी सीमा बनाते है। पश्चिम और पूर्व में क्रमशः बैतूल और सिवनी जिला स्थित है।

छिंदवाड़ा नगर, नागपुर तथा जबलपुर जिलों से रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके सबसे नजदीक हवाई अड्डा नागपुर है जो छिंदवाड़ा से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

कोयला –

छिन्दवाड़ा नगर के पश्चिम–उत्तर में कोयले का असीम भण्डार है। यह पूरा क्षेत्र चूंकि पेंच नदी के आस–पास है, अतः इसे पेंचवेली कोल फील्डस् के नाम से जाना जाता है। कोयले के खनन का कार्य 1905 में चाँदामेटा से प्रारम्भ हुआ था। कोयला इस जिले के गरीब लोगों के लिए उद भरण–पोषण के कारण प्रारंभ से बना रहा है। कोयले का यह भण्डार चाँदामेटा, बड़कुही, न्यूटन चिखली, दीघावानी, परासिया, रावनवाड़ा, दमुआ, डोंगरचिखली, भण्डारिया, भाजीपानी, इकलेहरा, अम्बाड़ा, जाटाछापर एवं सिंगोड़ी के पास तक फैला हुआ है।

वर्तमान में कुछ नई खदानों में खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है। ये खदानें, महादेवपुरी, विष्णुपुरी, छिन्दा, सेतियाँ, शिवपुरी, छुरी, मथारी, थिसगोंरा, नहरिया, पेंच एवं उरथन नाम से जानी जाती हैं। कुछ पुरानी खदानें बन्द होने की कगार पर थी अथवा हैं। अतः नई खदानों में उत्खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है।

कोयले के खनन का कार्य 1905 में कोलकता स्थित 'शॉ वॉलेस कम्पनी' को दिया गया था। इस कम्पनी ने इस क्षेत्र के बड़े भू–भाग को लीज पर ले लिया था। इसे कोयला निकाल कर, बेचने के सभी अधिकार प्राप्त थे। इस कम्पनी के कार्य प्रारम्भ करने से यहाँ के लागों को रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त हुए। श्रमिकों के रहने के घर, अधिकारियों के आवास तथा सड़कें बड़े पैमाने पर बनाये गये। शॉ वॉलेस कम्पनी के अतिरिक्त अन्य कम्पनियाँ भी इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आगे आयीं। एक और कोलफील्ड, जिसे 'कन्हान कोलफील्ड' के नाम से जाना जाता है, अस्तित्व में आया। यह दातला पनारा से कन्हान फील्ड तक फैला है। तामिया के दक्षिण पश्चिम नाले से तवा नदी के उद्गम तक तवा कोलफील्ड भी है। कहीं व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होने से कोयले का उत्खनन नहीं किया गया है।

छिंदवाड़ा की व्यापारिक गतिविधियों को तथा सम्पन्नता बढ़ाने में इस उद्योग का प्रथम स्थान है। कोयले के यातायात हेतु ही छिंदवाड़ा से बड़कुही तक बंगाल–नागपुर रेल्वे लाइन बनाई गयी थी। अब इन सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

मेंगनीज –

सन् 1905 में प्रकाशित सर्वे 'मेंगनीज इन इन्डिया बाई फार्मर' के अनुसार रामाकोना के निकट कच्छीढाना, सीतापार गोवारी, बाघोरा, अल्सेर, लखनवाड़ा, ग्वारीबढ़ोना आदि में मेंगनीज की उपलब्धता दर्शायी गयी है। इसमे कुछ समय तक खनन का बहुत कार्य किया गया। परन्तु बाद में व्यवसायिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होने से कुछ स्थानों पर उत्खनन का कार्य बन्द कर दिया गया।

वनसम्पदा –

छिंदवाड़ा अंचल अपनी वन सम्पदा की प्रचुरता के लिए प्रारम्भ से ही विख्यात रहा है। ये जंगल 4212.556 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैले हुए है। घने जंगलों एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं के कारण प्राचीन समय से यह दुर्गम क्षेत्र माना जाता रहा है। इन जंगलों में उत्तम किस्म के सागौन के वृक्षों

के अतिरिक्त शीशम, साज, बीमा, बबूल, सरई आदि के वृक्षों की बहुतायात है। इन जंगलों के वृक्षों का दोहन बहुत समय से लगातार होता रहा है। इस कारण इन वनों की सघनता में की दृष्टिगोचर होने लगी है। इस अंचल को समृद्धि प्रदान करने में प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल देन ने बड़ा उपकार किया है। आँवला, भिलवाँ, हर्र, बहेड़ा, चिरोंजी आदि से न केवल वनों में निवास करने वाले लोगों का भरण–पोषण होता है, अपितु व्यापारिक दृष्टि से इनका व्यवसाय बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी प्रकार जंगलों में शहद, चित्रक, मूसली, विदारीकन्द, भू आँवला, गोंद, चिरायता जैसी औषधियाँ भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ के वनग्राम के निवासियों के लिए तेंदूपत्ता, जिसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता हैं।

छिंदवाड़ा नगर

यह नगर विभिन्न सांस्कृतियों को अपने आप मे समेटे हुए है। इसका कारण देश के विभिन्न राज्यों से आए लोग अपने साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को भी लाये। इन्हें सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से आती पवित्र हवाओं ने पल्लवित कर दिया। यही कारण है कि आपाधापी की इस जीवन पद्धति में भी यहाँ सामाजिक दृष्टिगोचर होती है। जीवन मूल्यों के प्रति अपनी आस्था अभी यहाँ बरकरार है। यहाँ समाज के सभी वर्ग के लोग अपनी धार्मिक गतिविधियाँ तथा तीज–त्यौहार बड़ी आस्था एवं श्रद्धा से सम्पन्न करते है। यद्यपि यह नगर 200–250 वर्ष पुराना है किन्तु इसका नयापन कभी फीका नहीं पड़ता। यहाँ का सामाजिक जीवन स्वमेव रूप से गतिमान है।

छिंदवाड़ा अंचल के अनेक ग्राम इस नगर से अधिक प्राचीन है। इसका कारण, इस समूचे अंचल की राजधानी देवगढ़ का होना है। देवगढ़ के शासकों, विशेषकार राजा बख्त बुलन्दशाह ने किसानों, व्यापारियों, उद्योगकर्मियों को बहुत–सी रियासतें देकर देवगढ़ के आस–पास के बहुत से ग्राम बसाना प्रारम्भ कर दिया था। इसके कारण सौंसर, पांढुर्णा के मैदानी भागों, मोहखेड़, लोधीखेड़ा, बेरडी आदि बहुत से स्थानों पर व्यापारिक तथा अन्य गतिविधियाँ इस नगर के अस्तित्व में जाने के पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी। राजा बख्त बुलन्द ने, दिल्ली में बादशाह औरंगजेब के साथ मित्रता कर दिल्ली से, न केवल अपने साथ सैनिकों को लाया था, अनेक प्रशासनिक दक्षता प्राप्त मुंशियों एवं कारीगरों को भी साथ लाया था।

देवगढ़ पर गोंड राजाओं के पश्चात् भोंसले राजाओं का अधिकार हो गया। इन राजाओं ने अपने क्षत्रपों को विभिन्न स्थानों में नियुक्त कर दिया था। ऐसे ही छिंदवाड़ा में नियुक्त एक क्षत्रप को फैजाबाद से व्यापार के लिए आये रतनसिंह नामक रघुवंशी ने हराकर अपना ठौर बनाया, जिसे वर्तमान में रघुवंशीपुरा कहा जाता है। यह मोहल्ला अपेक्षाकृत ऊँचाई पर बसा हैं। यह सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि नगर का यह सबसे प्राचीन मोहल्ला है। रतनसिंह रघुवंशी ने धीरे–धीरे अपने परिवार एवं रिश्तेदारों को यहाँ आस–पास के ग्रामों में ला कर बसावट प्रारम्भ की। इन सभी लोगों की इन स्थानों पर मालगुजरियाँ स्थापित हो गई। ये सभी ग्राम यथा चौरई, चान्द, बाका नागनपुर, मालनवाड़ा, टाप, सारना आदि ग्राम नगर के पूर्व–उत्तर में धीरे–धीरे विकसित हो गये।

इस अंचल में देवगढ़ के शासकों के समय से ही, अधिकांश भू–भाग पर जागीरदारों का नियंत्रण था। ये सभी जागीरदार अपने अधिकृत क्षेत्रों पर शासन करते थे। इनकी अपनी पुलिस व्यवस्था आदि थी। इसका वर्णन छिंदवाड़ा अंचल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अलग से किया जा रहा है।

मराठा शासन को प्रशासनिक कार्यों आदि के लिए दक्ष लोगों की आवश्यकता पड़ी। अतः वराड़ आदि स्थानों से मराठी भाषी लोगों का इस नगर में आना प्रारम्भ हुआ। इन लोगों ने अपने निवास प्रारम्भ में जहाँ बनाये थे, उसे बरारीपुरा नाम से जाना जाता हैं। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि इनसे पूर्व कुनबीं, माली आदि जातियाँ यहाँ अपने कृषि कार्य किया करती थी। इनकी बस्ती कितनी प्राचीन है, इसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।[16]

रघुवंशी समुदाय मूलतः उत्तरप्रदेश का था, अतः इनकी भाषा हिन्दी थी। इनके धार्मिक संस्कारों में भी वहाँ की छाया थी। इन्हें अपने धार्मिक कार्यों के सम्पादन के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता हुई। अतः इन्होंने ब्राह्मणों को रघुवंशी के आस–पास, छोटी बाजार के निकट बसाना प्रारम्भ कर किया। ये ब्राह्मण कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, अयोध्या आदि से आकर बसने लगे। इसी तरह मराठी भाषी ब्राह्मणों का आवागमन हुआ। ये बरार प्रान्त से आये तथा जहाँ बसने लगे, उसे पण्डीपुरा कहा जाता है। इन सभी लोगों के आगमन के कारण धार्मिक गतिविधियाँ प्रारम्भ हो गई। इन्हें मूर्तरूप में रघुवंशी समाज द्वारा रघुवंशीपुरे में राम मन्दिर बना कर दिया गया। यह नगर का प्रथम राम मंदिर बना। उस काल में पिण्डारियों का बड़ा आतंक था, अतः इन सभी मोहल्लों की स्थिति आस–पास ही बनी रही।

मूलतः कृषि कार्यों से संबंधित जातियाँ कुनबी, माली, पवार, गौली, भोयर, भारिया, गोंड आदि की स्थिति उस समय जल संसाधनों के अभाव के कारणों से उन्नत नहीं थी। परन्तु अपनी लगन एवं कठिन परिश्रम के बलबूते पर इन लोगों की कर्मस्थली गुरैया, नोनिया, लिंगा, खैरवाड़ा, मोहखेड़, राजेगाँव आदि ग्राम बने।

इस क्षेत्र को नगर के रूप में विकसित करने के कार्य मि. मॉंटगोमरी जो यहाँ के प्रथम प्रबंधक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किये गये थे, उनके द्वारा प्रारम्भ किये गये। कहा जाता है कि गोलगंज के पूर्व और पश्चिम में, जो बड़े दरवाजे स्थित हैं, इन्हीं के कार्यकाल में बनाये गये थे। अंग्रेजी सेना का आवागमन इस क्षेत्र में धीरे–धीरे बढ़ रहा था। इस अंचल में व्यापार आदि के कार्य हेतु राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर आदि स्थानों से पालीवाल ब्राह्मण, वैश्य तथा राजपूत समुदाय के लोगों का बसना प्रारम्भ हो चुका था। ये लोग अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ क्षेत्रों यथा, सौंसर, पांढुर्णा, लोधीखेड़ा, बेरडी, मोहगाँव आदि स्थानों पर केन्द्रित थे। किन्तु जब अंग्रेजी शासनकाल प्रारम्भ हुआ और छिंदवाड़ा नगर के रूप में विकसित होने लगा, तब इन लोगों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों हेतु इसे अधिक उपयुक्त माना। चूंकि इनका प्रमुख कार्य व्यापारिक था, अतः इन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। जैसा कि छिन्दवाड़ा अंचल के इतिहास में उल्लेख किया गया है कि पिण्डारियों का आतंक नर्मदा के पूरे कछार क्षेत्र यथा नरसिंहपुर, जबलपुर से होशंगाबाद तक छाया हुआ था। ये लोग क्रूरतापूर्वक लूटपाट करते थे। जबलपुर में पदस्थ कमिश्नर मि. स्लीमेन, जिनके नाम से स्लीमनाबाद बसाया गया, को पिण्डारियों के आतंक से मुक्ति दिलाने का श्रेय दिया जाता है। ये व्यापारी गोलगंज में बसने लगे। इन्हीं की सुरक्षा हेतु चारों ओर ऊंची दीवार बनाई गयी, तथा विशाल दरवाजे पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बनाये गये। इन दरवाजों के ऊपर सन्तरी बैठता था, जो अपने वाद्य से नगर वासियों को सतर्क किया करता था तथा खतरे की सूचना देता था। यहीं पूर्वी दरवाजे के पास की गली में पुलिस चौकी भी स्थापित की गयी थी।

सन् 1867 में अंग्रेजी शासन ने जब भूमि सेटलमेण्ट किया, उसी समय नगरपालिका की स्थापना की गयी। दूसरा भूमि सेटलमेण्ट 1885–90 के बीच लागू किया गया। इसमें मालगुजारी जमीन–नजूल की जमीन का पृथककरण किया गया। तदानुसार यह नगर भी अपना विस्तार लेने लगा।

यहाँ की भौगोलिक एवं जलवायु की स्थिति देख कर अंग्रेजी सत्ता ने अपनी बढ़िया बटालियन को यहाँ रखने को फैसला किया। मिलिट्री के आ जाने से सन् 1870 के बाद से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के उद्योग कर्मियों की आवश्यकता थी। अतः अन्य प्रान्तों से लोग यहाँ आने लगे। उत्तर प्रदेश आदि से मुस्लिम संस्कृति के जुलाहे आये जो सेना के कपड़ों, तकिया, गद्दों आदि से सम्बन्धित कार्य किया करते थे, उन लोगों को छिंदवाड़ा ने आकर्षित कर लिया और वे अपने वंशजों के साथ यहाँ बस गये। ये लोग जहाँ बसे, वह कभी पिंजारी मोहल्ला के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही कोष्टीपुरा, कसारीपुरा, कुम्हारीपुरा आदि बसते गये। मुस्लिम समुदाय के लोग देवगढ़ के राजा बख्तबुलन्द के समय से उनके सैनिक/अधिकारी के रूप में पहले ही आने लगे थे। मराठा शासनकाल में भी मुस्लिम सैनिक/सरदार इस अंचल में आये। यह पढ़ा–लिखा संभ्रान्त मुस्लिम समुदाय था। ये लोग भी इस नगर के आकर्षण से अछूते न हो सके और परिवार सहित बस गये। ऐसे परिवार धीरे–धीरे जहाँ बसे, वो दीवांचीपुरा है। इनकी बसावट को देखते हुए लालबाग में पास ही कब्रिस्तान बनाया गया।

सन् 1886 के बाद से इस नगर का क्रमवार सतत् विकास होता रहा। यहाँ की मिट्टी में सुगन्ध है। इसका विकास स्वयं का अपना प्रयास है। नगर धीरे–धीरे विकास कर रहा था। इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए सन् 1904 में बंगाल–नागपुर रेल्वे की नैरोगेज ट्रेन बड़कुही, चाँदामेटा, छिन्दवाड़ा–नैनपुर चलाई गयी। नागपुर रेलवे की नैरोगेज ट्रेन बड़कुही, चाँदामेटा, छिंदवाड़ा–नैनपुर चलाई गयी। नागपुर पास का बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। अतः सन् 1912–13 में इसे नागपुर से गैरोगेज रेल लाइन से जोड़ा गया। यह रेल लाइन उस समय का इंजीनियरिंग का कमाल माना गया। दुर्गम जंगलों,

सिल्लेवानी की घाटियों से गुजरती रेल्वे लाइन बनाना कमाल था। ये और बात है कि हम उसमें बैठ कर इन पर्वत श्रृंखलाओं, सघन वनों का सौन्दर्य देखते हैं, अभिभूत होते है।
अब नगर में अनेक कालोनियाँ बन गयी हैं। परन्तु हम सभी भाग्यशाली हैं क्योंकि इस नगर की तासीर में मुहब्बत है, प्यार है, स्पन्दन है। वन क्षेत्र के बीच में रहने वाली आदिवासियों की विभिन्न जातियाँ गोंड, कोरकू, भारिया, भील, बैगा आदि अपने वाद्ययन्त्रों नगाड़ा, खड़ताल, मान्दल, ढोल, टिमकी, बाँसुरी आदि से वनांचल को न जाने कब से गुंजायमान करते आ रही हैं। जंगलों के बीच इनके नृत्य करमा, शैला, बिरहा, कहरवा आदि तो ब्रह्मानन्द का समां बाँधते रहे हैं। हमारा यह अंचल उत्सवधर्मी है।
प्रस्तावित शोध कार्य का योगदान –

जनजाति समाज आदि–अनादि काल से ही सुविधाविहीन जीवन जीने को मजबूर है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इनको कितनी मात्रा में मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा उस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये आगे बढ़ रही हैं या नहीं आदि बातो को ध्यान में रखकर शोधार्थी द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। कि इस वर्ग के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा, केन्द्र सरकार प्रवर्तित एवं मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। उक्त शोध आगामी आने वाले शोधार्थियों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। ऐसा मेरा मानना है।

निष्कर्ष एवं सुझाव –

जनजाति समुदाय नगरीय और ग्रामीण समाज से दूर रहकर स्वतंत्र और एकान्तपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हैं। कहीं–कहीं तो वह इतने दुर्गम स्थानों पर निवास कर रहा है कि उससे सीधे–सीधे संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता। कोई किसी पहाड़ी पर और कोई किसी पहाड़ी के ढलान पर ही अपना झोंपड़ा बनाकर रह रहा हैं। वहाँ यातायात के साधनों का नितान्त अभाव हैं। अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को वे ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाते। इन परिस्थितियों के कारण उनके जीवन में आधुनिक सुविधाओं को पहुँचाने की बातें कल्पना मात्र बन कर रह जाती है। उनका निराशावादी दृष्टिकोण और अपने विशिष्ट जीवनक्रम से चिपके रहने की भावनाएँ आदि कारक उनको इन समस्याओं से छूटकारा नहीं दिला पाते।

किसी भी देश की निर्धनता और सम्पन्नता बहुत हद तक उस देश के भौगोलिक साधनों पर निर्भर करती हैं। यदि आज अमेरिका धनी देश है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ प्राकृतिक निधियों का हैं। धन की उत्पत्ति के चार प्रमुख स्त्रोत हैं–खेत, खान, पशु और कारखानें।

ये सभी भूमि पर ही आधारित है। अतः मूल रूप से धन की उत्पत्ति दो साधनों से होती हैं। भूमि और पशु, जिस देश में पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, अनुकूल जलवायु व ऋतुचक्र, सिंचाई के साधन, खनिज पदार्थ पशुधन आदि प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, वह देश भौतिक कारणों से निर्धन होगा।

क्षेत्र के अधिकांश जनजातिय परिवार आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर है कि रोटी और कपड़े तथा आवास संबंधी न्यूनतम आवश्कताओं की पूर्ति ही नहीं कर पाते। अर्थोपार्जन के साधनों के रूप में समुदाय के पास खेती योग्य भूमि का अभाव और पर्याप्त मात्रा में पशुधन का कारक भी प्रमुख हैं।

जनजाति श्रमिक नितान्त असंगठित और अधिकांशतः दैनिक मजदुरी पर कार्य कर रहे हैं। कम मजदूरी, कम भुगतान अथवा न भुगतान करके ठेके द्वारा विशेषकर उन स्थितियों में, जब उसे अकेले या समूहों में सुदूर अंजान जगहों पर जाने और काम करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, फाँस लिया जाता हैं। इस तरह उसका आर्थिक शोषण हो रहा हैं।

कृषि के क्षेत्र में अभी वे उन्हीं पुराने उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, जो उनके पूर्वजों द्वारा निर्धारित थे।

पर्याप्त मात्रा में अर्थोपार्जन के साधनों का अभाव होने के कारण उसमें उत्साह और उमंग प्रायः समाप्त हो गया हैं।

राहत कार्यो के नाम पर कहीं–कहीं झूठे काम हो रहे हैं। रोजगार न देने का भय दिखलाकर उसे निर्धारित रूपयों से कम रूपये भी दिए जा रहे हैं।

महाजनों और साहूकारों द्वारा उन्हें आवश्यकतानुसार धन दिया जाता है। तथा फसलें आने पर दुगने–तिगुने ब्याज के रूप में फसल हड़प ली जाती हैं। जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर हुई हैं।

आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए,शीघ्र ही शासन और समाज सेवी संस्थाओं को ठोस कदम उठाना चाहिए तथा राहत कानून आदि बनाकर उन्हें और अधिक विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए।
आर्थिक दृष्टि से विपन्न परिवारों को जिनके पास कृषि भूमि नहीं हैं, शासन की ओर से भूमि वितरण का कार्य किया जाना चाहिए।
इन अंचलों में ऐसे कारखाने का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें पुरूष महिलाएँ और बच्चों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके।
महाजनों और साहूकारों पर ऋण देने संबंधी आवश्यक बंधन होना चाहिए। जिससे जनजातिय शोषण से मुक्ति प्राप्त कर सके।
गुप्तचर विभाग द्वारा आदिवासियों में बाँटे गये ऋण की जाँच होनी चाहिए तथा भ्रष्ट और कर्महीन बैंक कर्मचारियों को दण्डित किया जाना चाहिए।
अंध विश्वासों और अन्य सामाजिक रस्मों पर धन का दुरूपयोग रोके जाने संबंधी विधान बनाया जावे।
उनमें पनपी हुई दृष्टि को नष्ट करने के लिए विशेष फिल्मों का निर्माण लोक–कलाकारों के द्वारा करवाया जाना चाहिए तथा गाँवों में उसका प्रचार–प्रसार सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से हो, ऐसी व्यवस्था भी की जाना चाहिए।
इन क्षेत्रों में सिंचाई के अत्यन्त निम्न स्तर को देखते हुए सिंचाई के लिए एक मास्टर योजना और परियोजनाओं के सर्वेक्षण और क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम एक वर्ष के अंदर तैयार किया जाना चाहिए।
सिंचाई में कुओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छोटी जोत वाले आदिवासियों को भी छोटे–छोटे सिंचाई कुओं के लिए पात्रता दी जानी चाहिए। कुओं की असफलता का जोखिम राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1) संजय सिंह, दलित और शिक्षा'' ओमेगा पब्लि. नई दिल्ली. पृष्ठ 2

2) शर्मा ब्रह्मदेव, आदिवासी स्वशासन प्रकाशन संस्थान नईदिल्ली

3) श्रीवास्तव आर.एन., सामाजिक अनुसंधान तथा शोध प्रविधि म.प्र. हिन्दीग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ.स. 261, 63

4) बघेल डी.एस. एवं किरण : अनुसंधान पद्धतिशास्त्र कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल पृ. 510

5) चौबे रमेश : सामाजिक अनुसंधान तथा शोध प्रविध हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पृ.स. 232

6) सिंह एस.डी. : वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूलतत्व कमल प्रकाशन दिल्ली पृ. सं 28

7) श्री निवास एम.एन. : सोशल चैन्ज इन मार्डन इण्डिया

8) किशन राव एस.के. : इनरजिंग ट्रायबल इमेज रावत पब्लिशर्स, जयपुर पृ. 188

9) सच्चिदानंद :सेल्फ गवर्नेस कार ट्राइबल (वाल्यूम– 1–6) एन.आई. आर. डी. हेदराबाद पृ. 16, 23

10) रेब्बा प्रगाड रवि : इमरजिंग पेटर्न ऑफ लीडरशीप इन ट्रायल इण्डिया मानक पब्लिकेशन नईदिल्ली पृ.स. 12

11) जनसंख्या के अंतिम आँकड़े : भारत की जनगणना 2011 निर्देशक जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश,भोपाल

12) जिला सांख्यिकीय पुस्तिका : जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा म.प्र.

INTERNET SOURCES:

6% -
http://www.google.com/url?url=http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/70316/11/summary.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiw-YzXuYLjAhVKRY8KHXs5DVoQFggUMAA&usg=AOvVaw3d2tcJ50sbNm5oTSiAtALN
6% -
http://www.google.com/url?url=http://www.academia.edu/18948263/Gujrat_Ke_Sabak&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjs_5DuuYLjAhWFOI8KHY7CBXoQFggUMAA&usg=AOvVaw1spG40_8WwnvIYNEPY8M2_